128/24

24/10/24

पत्रावली पेश हुई। आज P.O.
अन्य राजकार्य/~~प्रशासन गांवों के~~
संग अभियान 2010 में व्यस्त हैं।
पत्रावली अग्रिम आदेश दि० 9/12/25
को पेश है।

24/10/24

19/12/25

पत्रावली मेरे अधिवक्ता की तरफ से जाकिर अधिवक्ता द्वारा अग्रिम बहस शीघ्र कार्यवाही पेश होने पर पत्रावली तलब होकर आज दिनांक 19/12/24 को पेश हुई प्रार्थीगण की ओर से प्रारंभिक-पक्ष बहस बाद डिक्री-आदेश हेतु पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली तलबी व वकालतनामा पेश करने बाबत दावा पर औरंगाबाद की जिला प्रार्थीगण का प्रारंभिक पक्ष श्रवण बाद डिक्री करने स्वीकार करने के लिये पर्याप्त कारण नहीं होना का कोई विधि प्रमाणित नहीं होना से, विपक्षी प्रार्थीगण के प्रारंभिक पक्ष श्रवण मूल बाद डिक्री करने हेतु स्वीकार किया जाता है पत्रावली दावा पर अधिक की जाती है पत्रावली दावा पर अधिक की जाती है पत्रावली कैशल मुकदमा अंतर नम्बर से कर अंतर दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)